

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### षष्टम् सत्र

सोमवार, 26 अगस्त, 2019/4 भाद्रपद, 1941 (शक)

2.00 बजे (अपराह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित:

- (i) स्थगित  
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

##### (2) अतारांकित :

- दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

#### 2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 26 अगस्त, 2019 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

#### 3. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18; और
- (ii) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019।

- (2) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ मुख्य प्रारूपकार, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-7/2015 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2019 को प्रकाशित;
  - (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रसार अधिकारी (उद्योग), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-4/2013 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.07.2019 को प्रकाशित;
  - (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रेशम निरीक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-2/2013 दिनांक 19.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.11.2017 को प्रकाशित; और
  - (iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, मलबरी अधीक्षक/अनुसंधान सहायक/तकनीकी पर्यवेक्षक/वरिष्ठ रेशम निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-8/2015 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.07.2019 को प्रकाशित ।
- (3) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

श्री नरेन्द्र ठाकुर, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 'हिम केयर' व 'सहारा' योजनाओं पर यह सदन विचार करे।"

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

श्री अरूण कुमार, "दिनांक 19 अगस्त, 2019 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री विक्रमादित्य सिंह:

"to call the attention of the **Chief Minister** to the situation arising out of 'Dilution of Section-118 of Himachal Pradesh Land Tenancy and Reform Act, 1972 in view of abolition of Article 35A of Indian Constitution."

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री राम लाल ठाकुर

श्री रमेश चन्द ध्वाला

श्री बिक्रम सिंह जरयाल

प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004

दिनांक: 23 अगस्त, 2019

यशपाल शर्मा,

सचिव।

\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)